

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न . 2251 / 1827

दिनांक :- 19/01/2024

24-1-24

आदेश

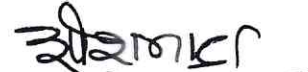
श्री गजेन्द्र पारीक [लिंक नं. 2251] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर - [1000032] जिनकी जन्म तिथि 09/05/1969 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/02/2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/02/2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है एवं दिनांक 01/02/2024 इनका अकार्यदिवस होगा।

श्री गजेन्द्र पारीक की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 26/07/1993 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गजेन्द्र पारीक के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न . 2251 / 1827

दिनांक :- 19/01/2024

24-1-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर
4. कोषाधिकारी (शहर /सचिवालय) जयपुर
5. श्री गजेन्द्र पारीक [2251] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)